Gaz (N.M)

हरियाणा सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

दिनांक 1 जनवरी, 1997

सं० सा०का०नि० 2/संवि०/अनु० 309/97.—भारत सरकार के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग चिकित्सा इत्तर, स्वास्थ्य शिक्षा, पोषाहार तथा आहार विज्ञान (डाईटिक्स) (ग्रुप-ख) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा उनकी सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

भाग I—सामान्य

1. ये नियम हरियाणा स्वास्थ्य विभाग चिकित्सा इत्तर, स्वास्थ्य शिक्षा, पोषाहार तथा आहार विज्ञान (ग्रुप-ख) सेवा नियम, 1996, कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम।

2. इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।

(क) "आयोग" से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग ;

(ख) "महानिदेशक" से अभिप्राय है, महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाय हरियाणा ;

(ग) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति, जो सेवा में से पदोन्नति द्वारा या भारत सरकार या किसी राज्य की सेवा में पहले से लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण से अन्यथा कोई हो ;

(घ) "सरकार" से अभिप्राय है प्रशासकीय विभाग में हरियाणा सरकार ;

(ङ) "संस्था" से अभिप्राय है,—

(i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था ; या

(ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था;

(च) "मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है,—

(i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय ; या

(ii) 15 अगस्त, 1947, से पूर्व हुई परीक्षा के परिणाम स्वरूप प्राप्त उपाधि, उपाधि पत्र (डिप्लोमा) या प्रमाण-पत्र की दशा में, पंजाब, सिंध या ढाका विश्वविद्यालय ; या

(iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय जो इन नियमों के प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो,

(छ) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग चिकित्सा इत्तर स्वास्थ्य शिक्षा, पोषाहार तथा आहार विज्ञान (डाईटिक्स) (ग्रुप-ख) सेवा।

भाग II—सेवा में भर्ती

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट क में दर्शाए गये पद होंगे : पदों की संख्या तथा स्वरूप।

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में भर्ती किये गये उम्मीदवारों का राष्ट्रिकता, अधिवास तथा चरित्र ।

4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह निम्नलिखित न हो —

(क) भारत का नागरिक ; या

(ख) नेपाल की प्रजा ; या

(ग) भूटान की प्रजा ; या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो प्रथम जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो; या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा कीनिया, युगांडा, तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानीका और जंजीबार), जांबिया, मलावी, जायरे और इथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो :

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) से सम्बन्धित किसी प्रवर्ग का व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो ।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, उसे हरियाणा लोक सेवा आयोग अथवा किसी अन्यभर्ती प्राधिकारी द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिये प्रविष्ट किया जा सकता है। किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह अपने अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था के, यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण पत्र, और दो ऐसे अन्य जिम्मेवार व्यक्तियों से जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली-भांति परिचित हों, और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करे ।

आयु ।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा, जो आयोग को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से ठीक पहले की तिथि की 25 वर्ष से कम या 40 वर्ष से अधिक का हो ।

नियुक्ति प्राधिकारी ।

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां सरकार द्वारा की जायेगी ।

योग्यताएं ।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट "ख" के खाना 3 में तथा पदोन्नति द्वारा भर्ती की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना–4 में उल्लिखित योग्यताएं तथा अनुभव न रखता हो :

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव सम्बन्धी योग्यताओं में आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण के विवेक पर 50 प्रतिशत सीमा तक ढील दी जा

सकेगी, यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग प्रवर्गों में उनके लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो। ऐसा करने के लिए लिखित रूप से कारण दिये जायेंगे।

8. कोई भी व्यक्ति— अयोग्यताएं।

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है, या विवाह की संविदा कर ली है, या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है,

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी :— भर्ती का ढंग।

(i) सहायक निदेशक (पोषाहार तथा आई० सी० डी० एस०) की दशा में,—

(क) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ख) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ii) तकनीकी अधिकारी चिकित्सा इत्तर (स्वास्थ्य शिक्षा) की दशा में,—

(क) प्रशिक्षण एवं क्षेत्र अध्ययन तथा प्रदर्शन इकाई भारसाधक अधिकारी में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ख) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ग) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

टिप्पण :— स्वास्थ्य अधिकारी चिकित्सा इत्तर (स्वास्थ्य शिक्षा) का पद भारसाधक अधिकारी प्रशिक्षण एवं क्षेत्र अध्ययन तथा प्रदर्शन इकाई के पद से अधिक जिम्मेवारी का है।

(iii) भारसाधक अधिकारी प्रशिक्षण एवं क्षेत्र अध्ययन तथा प्रदर्शन इकाई की दशा में,—

(क) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ख) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(iv) तकनीकी अधिकारी (दृश्य श्रव्य) की दशा में,—

(क) फोटोग्राफर में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ख) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ग) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(v) प्रदर्शनी अधिकारी की दशा में,—

(क) आर्टिस्ट में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ख) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ग) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(vi) सहायक निदेशक (आहार विज्ञान) की दशा में,—

(क) आहार विज्ञानियों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) सीधी भर्ती द्वारा; या

(iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(2) सभी पदोन्नतियां जब तक अन्यथा उपबंधित न हों, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जायेंगी और केवल ज्येष्ठता ऐसी पदोन्नतियों के लिये कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी ।

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो दो वर्ष की अवधि के लिये और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रहेगा : परिवीक्षा।

परन्तु—

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि की ओर गिनी जायेगी ; और

(ख) स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किए गए कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि की ओर गिनने दी जा सकती है ; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परीवीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर, यदि वह किसी स्थायी रिक्ति पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो वह,—

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवा से अलग कर सकता है ; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो—

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है ; या

(ii) उसे उसके संबंध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है, जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करे।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर नियुक्ति प्राधिकारी—

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो—

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है;

(ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है;

(iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि सन्तोषजनक ढंग से पूर्ण कर ली है; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में सन्तोषजनक न रहा हो तो—

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी ऐसी रीति में कार्रवाई कर सकता है, जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें ; या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है, जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई हो, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

ज्येष्ठता । 11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी :

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिये अलग-अलग निश्चित की जायेगी :

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग अथवा अन्य भर्ती प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा निश्चित योग्यता क्रम भंग नहीं किया जाएगा :

परन्तु एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप में निश्चित की जायेगी :—

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य, पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ग) पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जाएगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरित किये गये थे ; और

(घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्यों को दिया जाएगा, जो अपनी पहली नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार

और यदि सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा ।

सेवा करने का दायित्व ।

12. (1) सेवा का कोई सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिये आदेश दिये जाने पर, ऐसा करने के लिये दायी होगा ।

(2) सेवा के किसी सदस्य को निम्न लिखित के अधीन भी सेवा के लिये प्रतिनियुक्त किया जा सकता है :—

(i) किसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण, राज्य सरकार के पास हो, हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण अथवा विश्वविद्यालय ; या

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो ; या

(iii) किसी अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय जिसका नियन्त्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर-सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) या खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिये प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा ।

वेतन, छुट्टी पैंशन तथा अन्य मामले ।

13. वेतन, छुट्टी, पैंशन तथा सभी अन्य मामलों के संबंध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियन्त्रित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाए या बनाये गए हों अथवा इसके बाद अपनाए या बनाये जायें ।

अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें ।

14. (1) अनुशासन, शास्तियों तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, द्वारा नियन्त्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाए गये नियमों या किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट "ग" में विनिर्दिष्ट हैं ।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, के नियम 9 के उप-नियम (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा, जो इन नियमों के परिशिष्ट "घ" में विनिर्दिष्ट हैं ।

टीका लगवाना।

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा, ऐसा करने का निर्देश करे, तो टीका लगवायेगा और पुनः टीका लगवायेगा।

राजनिष्ठा की शपथ।

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी।

ढील देने की शक्ति।

17. जहां सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या समीचीन हो, वहां वह कारण लिखकर, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।

विशेष उपबन्ध।

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे तो वह ऐसा कर सकता है।

आरक्षण।

19. इन नियमों में दी गई कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग प्रवर्गों अथवा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग को दिए जाने के लिये अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी :

परन्तु इस प्रकार किए गए आरक्षण की कुल प्रतिशतता किसी भी समय 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

निरसन तथा व्यावृति।

20. सेवा को लागू कोई नियम या इन नियमों में से किसी के अनुरूप कोई नियम, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने से तुरन्त पूर्व से लागू हों, इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियम के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कोई कार्रवाई समझी जायेगी।

परिशिष्ट--क

(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थाई	अस्थाई	जोड़	
1	2	3	4	5	6
1	सहायक निदेशक, (पोषाहार तथा आई.सी.डी.एस)	1	—	1	2,200—75—2,800—द०रो०—100—4,000 रुपये
2	तकनीकी अधिकारी, चिकित्सा इत्तर (स्वास्थ्य शिक्षा)	—	1	1	2,000—60—2,300—75—2,900—द०रो०—100—3,500 रुपये
3	प्रशिक्षण एवं क्षेत्र अध्ययन तथा प्रदर्शन इकाई का भार-साधक अधिकारी	1	—	1	2,000—60—2,300—75—2,900—द०रो०—100—3,500 रुपये
4	तकनीकी अधिकारी (दृश्य श्रव्य)	—	1	1	2,000—60—2,300—75—2,900—द०रो०—100—3,500—रुपये
5	प्रदर्शन अधिकारी	—	1	1	2,000—60—2,300—75—2,900—द०रो०—100—3,500—रुपये
6	सहायक निदेशक (आहार विज्ञान)	1	—	1	1,640—60—2,600—द०रो०—75—2,900 + 100—रुपये विशेष वेतन ।

परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव यदि कोई हो
1	2	3	4
1	सहायक निदेशक (पोषाहार तथा आई. सी.डी. एस.)	(i) (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से होम सांईस/पोषाहार, पोषाहार में विशेषज्ञता अथवा बाल विकास तथा विस्तार शिक्षा में एम. एस.सी.; (ख) पोषाहार के विस्तार या प्रभार कार्य के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव; या (ii) (क) पोषाहार एवं विशेष विषय सहित होम सांईस/पोषाहार में बी. एस. सी.; (ख) पोषाहार के विस्तार या प्रभार कार्य के क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव; (iii) मैट्रिक तक हिन्दी ।	(i) (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से होम सांईस/पोषाहार, पोषाहार में विशेषज्ञता अथवा बाल विकास तथा विस्तार शिक्षा में एम. एस.सी.; (ख) पोषाहार के विस्तार या प्रभार कार्य के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव; या (ii) (क) पोषाहार एवं विशेष विषय सहित होम सांईस/पोषाहार में बी. एस.सी.; (ख) विस्तार के या प्रचार कार्य के या पोषाहार के क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव; (iii) मैट्रिक तक हिन्दी ।
2	तकनीकी अधिकारी चिकित्सा इत्तर (स्वास्थ्य शिक्षा)	(i) समाज विज्ञान या सामाजिक विज्ञान के सामाजिक कार्य में एम.ए./ एम.एस.सी.; (ii) वांछित अर्हता प्राप्त करने के उपरान्त स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में सात वर्ष का अनुभव; (iii) मैट्रिक तक हिन्दी ।	भारसाधक अधिकारी प्रशिक्षण एवं क्षेत्र अध्ययन तथा प्रदर्शन इकाई के पद पर पांच वर्ष का अनुभव ।

1	2	3	4
3	भारसाधक अधिकारी प्रशिक्षण एवं क्षेत्र अध्ययन तथा प्रदर्शन ईकाई ।	(i) होम सांईस में बी.एस.सी.; या (ii) समाज विज्ञान या सामाजिक कार्य या सामाजिक विज्ञान में एम.ए.; (iii) कम से कम मूल अर्हताएं प्राप्त करने के बाद स्वास्थ्य शिक्षा या ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण या सामाजिक शिक्षा के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव; (iv) मैट्रिक तक हिन्दी ।	(i) होम सांईस में बी.एस.सी.; या (ii) समाज विज्ञान या सामाजिक कार्य या सामाजिक विज्ञान में एम.ए.; (iii) कम से कम मूल अर्हताएं प्राप्त करने के बाद स्वास्थ्य शिक्षा या ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण या सामाजिक शिक्षा के क्षेत्र में तीन वष का अनुभव; (iv) मैट्रिक तक हिन्दी ।
4	तकनीकी अधिकारी (दृश्य श्रव्य)	(i) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से कला/विज्ञान में स्नातक; (ii) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से स्वास्थ्य शिक्षा में डिप्लोमा; (iii) दृश्य श्रव्य एडस बनाने का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव; (iv) मैट्रिक तक हिन्दी; वांछनीय योग्यताएं-- दृश्य श्रव्य एडस में डिप्लोमा या डिग्री	पदोन्नति द्वारा; (i) फोटोग्राफर के पद पर दस वर्ष का अनुभव, स्थानान्तरण या प्रति नियुक्ति द्वारा; (i) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से कला/विज्ञान में स्नातक; (ii) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से स्वास्थ्य शिक्षा में डिप्लोमा; (iii) दृश्य श्रव्य एडस बनाने का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव; (iv) मैट्रिक तक हिन्दी । वांछनीय योग्यताएं -- दृश्य श्रव्य एडस में डिप्लोमा या डिग्री ।
5	प्रदर्शनी अधिकारी	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय या संस्थान से कला में डिग्री या डिप्लोमा; (ii) प्रदर्शित की जाने वाली सामग्री को डिजाईन, प्लान और प्रदर्शित करने में तथा प्रदर्शनी एवं स्टाल लगाने में पर्याप्त ज्ञान; (iii) प्रचार करने में तीन वर्ष का अनुभव;	आर्टिस्ट के पद पर कम से कम आठ वर्ष का अनुभव-।

1	2	3	4
		(iv) मैट्रिक तक हिन्दी। वांछनीय योग्यताएं -- (i) पत्रकारिता में स्नातक या डिप्लोमा; (ii) एक से अधिक भारतीय भाषाओं का ज्ञान; (iii) सूचना एवं प्रचार हेतु दृष्य साधनों को प्रयोग करने में अनुभव	
6	सहायक निदेशक (आहार विज्ञान)	(i) (क) आहार विज्ञान में एम.एस.सी; (ख) किसी अस्पताल या सामान्य स्वास्थ्य केन्द्र में डाईटिशियन के पद का दो वर्ष का अनुभव; या (क) होम सांईस में बी.एस.सी.; (ख) कलकत्ता विश्वविद्यालय या हरियाणा सरकार के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आहार विज्ञान का डिप्लोमा; (ग) किसी अस्पताल या सामान्य स्वास्थ्य केन्द्र का डायटिशियन के पद का दो वर्ष का अनुभव; (घ) मैट्रिक तक हिन्दी।	आहार विज्ञान के रूप में छः वर्ष का अनुभव।

परिशिष्ट ग

[देखिए नियम 14 (1)]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अन्तिम प्राधिकारी, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7
1	सहायक निदेशक (पोषाहार और आई. सी. डी. एस.)	सरकार	1. छोटी शास्तियां—	महा निदेशक	सरकार	
2	तकनीकी अधिकारी चिकित्सा इत्तर (स्वास्थ्य शिक्षा)		(i) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी ;			
3	भारसाधक अधिकारी प्रशिक्षण एवं क्षेत्र अध्ययन तथा प्रदर्शन इकाई		(ii) परिनिन्दा ; (iii) पदोन्नति रोकना ;			
4	तकनीकी अधिकारी (दृश्य श्रव्य)		(iv) उपेक्षा या आदेशों के उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी तथा संगम तथा व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के पास है, या संसद या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्व-विद्यालय को हुई धन सम्बन्धी पूरी हानि की या उसके भाग की वेतन से वसूली ; और			
5	प्रदर्शनी अधिकारी		(v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियां रोकना ।			
6	सहायक निदेशक (आहार विज्ञान)					

1	2	3	4	5	6	7
			2. बड़ी शास्तियां— (vi) संचयी प्रभाव सहित वेतन-वृद्धियां रोकना ; (vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति के दौरान वेतन-वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन-वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेंगी या नहीं ; (viii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारणत: रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निदेशों के साथ या उसके बिना होगी;			

1	2	3	4	5	6	7
			(ix) अनिवार्य सेवा निवृति ;			
			(x) सेवा से हटाया जाना, जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी ;			
			(xi) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यत: निरर्हता होगी ।			

परिशिष्ट घ

[दिखिए नियम 14 (2)]

क्रम संख्या	पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5
1	सहायक निदेशक (पोषाहार और आई. सी. डी. एस.)	(क) पैन्शन को नियन्त्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पैन्शन की राशि में कमी करना या रोकना ;	सरकार	---
2	तकनीकी अधिकारी चिकित्सा इत्तर (स्वास्थ्य शिक्षा)			
3	भारसाधक अधिकारी प्रशिक्षण एवं क्षेत्र अध्ययन तथा प्रदर्शन इकाई	(ख) सेवा के किसी सदस्य को उसकी अधिवर्षिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति ।		
4	तकनीकी अधिकारी (दृश्य श्रव्य)			
5	प्रदर्शन अधिकारी			
6	सहायक निदेशक (आहार विभाग)			

नीना इंगलटन,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
स्वास्थ्य विभाग ।

[**Authorised English Translation**]

HARYANA GOVERNMENT

HEALTH DEPARTMENT

Notification

The 1st January, 1997

No. G. S. R. 2/Const./Art. 309/97.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Health Department Non-Medical Health Education, Nutrition and Dietics, (Group B), Service namely :—

PART I—GENERAL

1. These rules may be called the Haryana Health Department Non-Medical Health Education, Nutrition and Dietics, (Group B) Service Rules, 1996. **Short title.**

2. In these rules, unless the context otherwise requires,— **Definitions.**

(a) "Commission" means the Haryana Public Service Commission;

(b) "Director General" means the Director General Health Services, Haryana ;

(c) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the Service or by transfer of an officrr already in the service of the Government of India or any State Government;

(d) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department ;

(e) "institution" means,—

(i) any institution established by law in force in the State of Haryana ; or

(ii) any other institution recognised by the Government for the purpose of these rules ;

(f) "recognised University" means,—

(i) any University incorporated by law in India ; or

(ii) in the case of a degree, diploma or certificate obtained as a result of an examination held before the 15th August, 1947, the Punjab, Sind or Dacca University; or

(iii) any other University which is declared by the Government to be recognised University for the purpose of these rules;

(g) "Service" means the Haryana Health Department Non-Medical Health Education, Nutrition and Dieties (Group B) Service.

PART II—RECRUITMENT TO SERVICE

Number and character of posts

3. The service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules :

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of Government to make additions to, or reductions in the number of such posts or to create new posts, with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

Nationality, domicile and character of candidates appointed to Service.

4. (*1*) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is,—

(a) a citizen of India ; or

(b) a subject of Nepal ; or

(c) a subject of Bhutan ; or

(d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st day of January, 1962, with the intention of permanently settling in India ; or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India :

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) or (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person, in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him, by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the Principal Academic Officer of the University, College, School or instituton last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his University, College, School or Institution.

Age.

5. No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment who is less than twenty five years or more than forth years of age, on or before the last date of submission of application to the Commission.

6. Appointment to any post in the Service shall be made by the Government. Appointing Authority.

7. No person shall be appointed to any post in the Service unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of appointment other than by direct recruitment : Qualifications.

Provided that in the case of direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50% at the discretion of the Commission or any other recruiting authority in case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-Servicemen and Physically Handicapped categories, possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

8. No person,— Disqualifications.

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any post in service :

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

9. (1) Recruitment to the Service shall be made,— Mode of recruitment.

(i) in the case of Assistant Director (Nutrition and ICDS),—

(a) by direct recruitment ; or

(b) by transfer or deputation of an officer already in Service of the Government of India or any State Government;

(ii) in the case of Technical Officer Non-Medical (Health Education),—

(a) by promotion from amongst the Officer Incharge Training-cum-field Study and Demonstration Unit ; or

(b) by direct recruitment ; or

(c) by transfer or deputation of an officer already in the service of the Government of India or any State Government.

Note—The post of Technical Officer, Non-Medical (Health Education) is of higher responsibility by than the post of Office Incharge Training-cum-field study and Demonstration Unit.

(iii) in the case of Officer Incharge Training-cum-field Study and Demonstration Unit :—

(a) by direct recruitment ; or

(b) by transfer or deputation of an officer already in the service of the Government of India or any State Government ;

(iv) in the case of Technical Officer (Audiovisual):—

(a) by promotion from amongst photographer ;

(b) by direct recruitment ; or

(c) by transfer or deputation of an officer already in the service of the Government of India or any State Government;

(v) in case of Exhibition officer :—

(a) by promotion from amongst the Artist ; or

(b) by direct recruitment ; or

(c) by transfer or deputation of an officer already in the service of the Government of India or any State Government ;

(vi) in the case of Assistant Director (Dieties) :—

(a) by promotion from amongst the dieticians ; or

(b) by direct recruitment ; or

(c) by transfer or deputation of an officer already in service of the Government of India or any State Government ;

(2) All promotions unless otherwise provided, shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.

Probation.

10. (*1*) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise ;

Provided that—

(a) any period after such appointment, spent on deputation on a corresponding or higher post shall count towards the period of probation; and

(b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the service may in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule ; and

(c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may ;—

(a) if such person is appointed by direct recruitment dispense with his services ; and

(b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment :—

(i) revert him to his former post ; or

(ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person the appointing authority may:—

(a) if his work or conduct has, in its opinion been satisfactory —

(i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy ; or

(ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy ; or

(iii) declare that he has completed his probation satisfactorily if there is no permanent vacancy; or

(b) if his work or conduct has, in its opinion, been not satisfactory —

(i) dispense with his services, if appointed by direct recruitment, and if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and conditions of previous appointment permit ; or

(ii) extend his period of probation and thereafter pass such order as it could have passed on the expiry of the first period of probation ;

Provided that the total period of probation including extension if any, shall not exceed three years.

11. Seniority, *inter se* of the members of the Service, shall be determined by the length of continuous service on any post in the service : Seniority.

Provided that where there are different cadres in Service, the seniority shall be determined separately for each cadre :

Provided further that in the case of members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Commission or any

other recruiting authority, as the case may be shall not be disturbed in fixing the seniority :

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows :—

(a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer;

(b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer ;

(c) in the case of a members appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred ; and

(d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment, and if the rate of pay drawn are also the same, then by the length of the Service in the appointments, and if the length of such Service is also the same, the elder member shall be senior to the younger member.

Liability to serve.

12. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

(2) A member of the Service may also be deputed to serve under—

(i) a company, an association or body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a Municipal Corporation or a local authority or University within the State of Haryana ;

(ii) the Central Government or a Company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government ; or

(iii) any other State Government, an international organisation, an autonomous body not controlled by the Government or a private body ;

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any Organisation or body referred to in clauses (ii) or (iii) except with his consent.

Pay, leave, pension and other matters.

13. In respect of pay, leave, pension and all other matters, not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been, or may hereafter be, adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

Discipline, penalties and appeals.

14. (1) In the matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987 as amended from time to time :

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub-rule (1) of Rule 9 of the Haryana Civil Service (Punishment and Appeal) Rules, 1987 and appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules..

Vaccination.

15. Every member of the Service shall get himself vaccinated and revaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

Oilath of a egiance.

16. Every member of Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Power of relaxation.

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Reservations.

18. Nothing contained in these rules shall effect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-Servicemen, Physically Handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard, from time to time :

Provided that the total percentage of reservations so made shall not exceed fifty per cent, at any time.

Special provisions.

19. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment, if it is deemed expedient to do so.

Repeal and savings.

20. Any rule applicable to the Service and corresponding to any of these Rules which is in force immediately before the the commencement of these rules, is hereby repealed :

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules,

APPENDIX A

(*See* rule 3)

Sr. No.	Designation of posts	Number of posts			Scale of pay
		Permanent	Temporary	Total	
1	2	3	4	5	6
1	Assistant Director (Nutrition and ICDS)	1	..	1	Rs. 2,200—75—2,800—EB—100—4,000
2	Technical Officer Non-Medical (Health Education)	..	1	1	Rs. 2,000—60—2,300—75—2,900—EB—100—3,500
3	Officer Incharge Training-cum-field Study and Demonstration Unit	1	..	1	Rs. 2,000—60—2,300—75—2,900—EB—100—3,500
4	Technical Officer (Audiovisual)	..	1	1	Rs. 2,000—60—2,300—75—2,900—EB—100—3,500
5	Exhibition Officer	..	1	1	Rs. 2,000—60—2,300—75—2,900—EB—100—3,500
6	Assistant Direcror (Dietics)	1	..	1	Rs. 1,640—60—2,600—EB—75—2,900+Rs. 100 special pay

APPENDIX B

(*See rule* 7)

Serial No.	Designation of posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
1	Assistant Director Nutrition, and ICDS	(i) (a) M. Sc Home Science or Nutrition, specialization in the Nutrition or Child Development or extension education from recognised University ;	(i) (a) MSc. Home Science or Nutrition specialization in the Nutrition or Child Development or extension education from a recognised University ;
		(b) two years field experience in extension or publicity work of nutrition ;	(b) two years field experience in extension or publicity work of nutrition ;
		OR	OR
		(ii) (a) B. Sc. Home Science or nutrition with nutrition as special subject ;	(ii) (a) BSc. Home Science or nutrition with nutrition as special subject ;
		(b) Five years field experience in extension or publicity work or nutrition ;	(b) Five years field experience in extension or publicity work of Nutrition;
		(iii) Hindi upto Matric ;	(iii) Hindi up to Matric;
2	Technical Officer Non-Medical (Health Education)	(i) M. A/MSc. in Sociology or Social work of Social Science ;	Five years experience on the post of Officer Incharge,
		(ii) Seven years experience in the field of Health Education after attainment of the Basic qualification ;	Training-cum-field study and Demonstration Unit.
		(iii) Hindi up to Matric.	

1	2	3	4
3	Officer Incharge Training-cum-field study and Demonstration	(i) BSc. Home Science ; OR (ii) M. A. in Sociology or Social work or Social Science ; (iii) 3 years field experience in Health Education or Rural Health Training or Social Education after attainment of minimum basic qualification ; (iv) Hindi up to Matric ;	(i) BSc. Home Science OR (ii) M. A. in Sociology or Social work or Social Science ; (iii) 3 years field experience in Health Education or Rural Health training or Social Education after attainment of minimum basic qualification ; (iv) Hindi up to Matric ;
4	Technical Officer (Audiovisual)	(i) Degree in Science or Art from a recognised University ; (ii) Diploma in Health Education of a recognised University ; (iii) Minimum of 5 years experience in the preparation of Audio-visual aids ; (iv) Hindi up to Matric ; Desirable qualification :— Diploma or degree in Audiovisual aids.	By promotion :— Ten years experience on the post of photographer. By transfer or deputation :— (i) Degree in Science or Art from recognised University ; (ii) Diploma in Health Education of a recognised University ; (iii) Minimum of 5 years experience in the preparation of Audiovisual aids ; (iv) Hindi up to Matric ; Desirable qualification :— Diploma or degree in Audiovisual aids.
5	Exhibition Officer	(i) Degree or Diploma in Art from a recognised University or institution ;	At least Eight years experience on the post of Artist.

1	2	3	4
		(ii) Knowledge of display methods and adequate experience of planning and designing of exhibit and organising the stalls and exhibitions ;	
		(iii) 3 years experience of publicity ;	
		(iv) Hindi up to Matric. Desirable quali fications :—	
		(i) Degree or Diploma in Journalism ;	
		(ii) Knowledge of more than one Indian language ;	
		(iii) Experience of utilizing visual media for information and publicity purposes.	
6.	Assistant Director (Dietics)	(i) (a) M. Sc. Dietics ; (b) Two years experience in the line in some Hospital or General Heath Cetnre ;	Six years experience as Dietician.
		OR	
		(a) B. Sc. Home Science ;	
		(b) Diploma in Dietics from the Calcutta University or any other institution recognised by the Haryana Government	
		(c) Two years experience in the line in some Hospital or some General Health Centre ;	
		(iv) Hindi up to Matric.	

APPENDIX C

[*See* rule 14 (1)]

Sr. No.	Designation of posts	Appointing authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority	Second and final Appellate authority, if any
1	2	3	4	5	6	7
			MINOR PENALTIES:			
1	Assistant Director (Nutrition) and ICDS)	Government	(i) Warning with a copy in the personal file (Character roll) ;	Director	Government	—
2	Technical Officer, Non-Medical (Health Education)		(ii) Censure ;			
			(iii) withholding of promotions ;			
3	Officer Incharge, Training-cum-field Study and Demonstration Unit		(iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of orders to Central Government or to a company and association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority or university set up by an Act of Parliament or of the Legislature of a State ; and			
4	Technical Officer (Audiovisual)					
5	Exhibition Officer					
6	Assistant Director (Dietics)					
			(v) withholding of increments of pay without cumulative effect ;			
			MAJOR PENALTIES:			
			(vi) withholding of increments of pay with cummulative effect ;			

1	2	3	4	5	6	7
			(vii) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the government employes will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay ;			
			(viii) reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the government employee to the time scale of pay, grade, post of service from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service ;			
			(ix) compulsory retirement ;			
			(x) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the government ;			
			(xi) dismissal from Service which shall ordinarly be disqualification for future employment under the government.			

APPENDIX-D

[*See* rule 14 (2)]

Serial No.	Designation of posts	Nature of order	Authority empowered to make order	Appellate authority
1	2	3	4	5
1	Assistant Director (Nutrition and ICDS)	(a) reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension;	Government	—
2	Technical Officer Non-Medical (Health Education)	(b) terminating the appointment otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation		
3	Officer Incharge, Training-cum-field Study and Demonstration Unit			
4	Technical Officer (Audiovisual)			
5	Exhibition Officer			
6	Assistant Director (Dietics)			

VEENA EGALTON,

Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Health Department .